

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

प्रेषक,

रमा शंकर,
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक-12-06-18


विषय :- राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के भू-अर्जन हेतु सक्षम प्राधिकार (Competent Authority) नामित करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा NH/NHAI परियोजनाओं के भू-अर्जन की कार्यवाही हेतु एन.एच. एक्ट, 1956 के तहत कार्य करने के निमित्त भू-अर्जन हेतु सक्षम प्राधिकार (Competent Authority of Land Acquisition) घोषित करने हेतु अनुरोध किया जाता रहा है।

उक्त संदर्भ में NH/NHAI परियोजनाओं के भू-अर्जन की कार्यवाही हेतु सभी जिलों के जिला भू-अर्जन पदाधिकारी एवं RFCTLARR Act, 2013 की धारा-3 (g) के तहत समाहर्ता की शक्ति प्रदत्त पदाधिकारियों को भू-अर्जन हेतु सक्षम प्राधिकार (Competent Authority of Land Acquisition) नामित किया जाता है।

विश्वासभाजन



(रमा शंकर)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-

314/610 राँची, दिनांक- 12-06-18

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी अपर समाहर्ता, झारखण्ड/सभी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, झारखण्ड/मुख्य प्रबंधक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


12-6-18

सरकार के उप सचिव